हमारा प्रतीक

दत्तोपंत ठेंगड़ी

हमारा प्रतीक

दत्तोपंत ठेंगड़ी

संस्थापक महामंत्री

भारतीय मजदूर संघ

प्रथम सस्करण : 1962

प्रकाशक

राम नरेश सिंह, प्रधानमंत्री,

भा० म० संघ, उ० प्र०, 14/12, बंबा रोड

दर्शनपुरवा, कानपुर, (उ० प्र०)

द्वितीय संस्करण : 1997

प्रकाशक

अनंत करंबेळकर

3122/15 संगत्राशान,

पहाड़गंज, नई दिल्ली - 110055

मूल्य : 5 रु. मात्र

मुद्रक

ऋत्विज प्रकाशन

34, संस्कृत नगर

प्लॉट-3, सेक्टर- 14, रोहिणी

दिल्ली – 110085

विषय-सूची

1. हमारा स्फूर्ति केंद्र	5
2. विश्व संस्कृति का प्रतीक	6
3. हमारा राष्ट्रध्वज	10
4. संगठन एवं पौरुष का प्रतीक - मानव अंगूठा	12
5. हमारा चिह्न	14
6. हमारी भूमिका	16

निवेदन

मा. दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 'भारतीय मजदूर संघ' की स्थापना के बाद प्रारंभ के कालखंड में 'भारतीय मजदूर संघ' से संबंधित कई विषयों पर कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए कई छोटी-छोटी पुस्तिकाएं लिखी, जिनका प्रकाशन भी हुआ और सभी प्रदेशों में वितरण भी। इनमें से कई पुस्तिकाओं की प्रतियां अब उपलब्ध नहीं हैं, जबकि 'भारतीय मजदूर संघ' के व्यापक विस्तार के बाद नए कार्यकर्ताओं के लिए इसकी महती आवश्यकता है।

इसके महत्व को देखते हुए भारतीय श्रम शोध मंडल ने अपनी प्रबोधन माला में ऐसी पुस्तिकाओं के पुन: प्रकाशन का निश्चय किया है। 'हमारा प्रतीक' इसी मालिका का एक पुष्प है।

अपेक्षित वर्तनी और वाक्य विन्यास के अलावा मूल रूप में बिना किसी परिवर्तन के हम इस पुस्तिका को प्रकाशित कर रहे हैं।

'भारतीय मजदूर संघ' के कार्यकर्ता इसका स्वागत करेंगे - ऐसी आशा है।

धन्यवाद।

अनंत करंबेळकर

कार्यवाह

भारतीय श्रम शोध मंडल

दो शब्द

भारतीय मजदूर संघ का ध्वज भगवद् (भगवा) वर्ण का आयताकार (2x3) है। उस पर मध्य में भारतीय मजदूर संघ का बोध विह्न अंकित है। इस बोध चिह्न में सर्वप्रमुख स्थान है मनुष्य के अंगूठे का। उसके महत्व का विवरण इस पुस्तिका में है।

अंगूठे के अतिरिक्त बोध चिह्न में औद्योगिक चक्र तथा बाली का समावेश है।

'औद्योगिक चक्र' औद्योगिक प्रगति का परिचायक है। वैसे तो, अद्यावत् औद्योगीकरण के प्रतीक के नाते और कई वस्तुओं की कल्पना की जा सकती थी, किंतु उनमें से हमने औद्योगिक चक्र को ही चुना है। इसका एक कारण यह भी है कि यह औद्योगिक चक्र प्रवर्तन हमारी दृष्टि में धर्म चक्र प्रवर्तन से मानसिक साहचर्य रखता है। इस साहचर्य में ही उसकी उकृष्टता निहित है।

बाली कृषि तथा कृषिजन्य विपुलता, वैभव, ऐश्वर्य को सूचित करती है।

ध्वज के वर्ण के औचित्य का परिचय इस पुस्तिका में किया गया है।

- प्रकाशक

हमारा स्फूर्ति केंद्र

अतीत के कारण ही हमारा राष्ट्र जीवित है। परंपरा से नब्बे करोड़ अंतःकरणों का मार्गदर्शन करने वाला अपना एक प्रतीक है। ऐसा प्रेरणादायी वह प्रतीक है जिसके रहने पर पूरे समाज के किसी भी व्यक्ति को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह राष्ट्रतत्व अपना भगवा ध्वज है। यह ध्वज जो बातें प्रकट करता है, वे हमारे राष्ट्र की प्राण हैं। यह झंडा हमारी संस्कृति के मूल तत्वों का दर्शन कराता है।

प्राचीन समय में हमारे यहाँ अग्नि की उपासना होती थी। उस पवित्र यज्ञ की ज्वाला का वर्ण और आकार लेकर झंडा बनाया गया। उसको कंधे पर डाल कर संन्यासी चलते थे। धीरे-धीरे उन्होंने उस रंग का कपड़ा भी पहनना प्रारंभ कर दिया। वे अपने आचरण द्वारा लोगों को सार्वभौमिक तत्वों से परिचित कराते रहे। संकट के समय में भी इन संन्यासियों के कारण राष्ट्र कायम रहा। धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले क्षत्रिय इस झंडे को लेकर चलते थे। इस प्रकार वीरों ने, साधुओं और बलिदानियों ने इस भगवा रंग को अपनाकर भारत के घर-घर में पहुंचा दिया।

इस झंडे का यह संदेश है कि मनुष्य जीवन त्यागमय, पवित्र, वैराग्ययुक्त व संयमयुक्त हो। अतीतकाल से हमारा राष्ट्रीय जीवन इन्हीं तत्वों को लेकर बना है। कोई राष्ट्र दुनिया में सेना भेजकर विजय प्राप्त करने के लिए होता है, किसी राष्ट्र का जीवन व्यापार और संपत्ति प्राप्त करना है तो किसी का कला के द्वारा सौंदर्य का आस्वाद करना है। पर हमारे राष्ट्र का प्राणतत्व मानव जीवन को पशु जीवन से श्रेष्ठ बनाने का है। सहिष्णुता, उदारता, पवित्रता, संयम व सेवाभाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम विश्व की एकात्मता का अनुभव करें। एक ही आत्मतत्व घट-घट में भरा हुआ है। मनुष्य में ही नहीं अपितु सभी प्राणियों में यही एक चैतन्य तत्व निहित है। ऐसे विचार हमारे राष्ट्रीय जीवन में रम गए। वेदों के अध्ययन और संन्यासियों के आचरण से जो इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती रही, उसका प्रतीक यह भगवा ध्वज ही है। यह हमें निष्काम कर्म की ओर ले जाता है। अभ्युदय व निःश्रेयस दोनों का प्रतीक यह ध्वज है।

शेष ध्वजों में यह सामर्थ्य नहीं। हमारा यह सौभाग्य है कि संस्कृति के आधारभूत गुणों को आत्मसात कर जीवन बिताने वाले लाखों संन्यासियों ने इस रंग के कपड़े को स्वीकार कर इस अखंड यज्ञ की भावना को जागृत रखा। आज अनपढ़ से अनपढ़

भी समझ लेता है कि यह कार्य स्वार्थ का नहीं, अपितु धर्म का, पवित्रता का, संयम का व सबकी भलाई का है। यह झंडा केवल संन्यासियों का पारमार्थिक ही नहीं, अपितु ऐहिक और पारमार्थिक दोनों का मार्गदर्शन करने वाला प्रतीक है। उदयकालीन सूर्य की आभा को प्रकट करने वाला और सबको प्रकाश देने वाला यह झंडा है।

विश्व संस्कृति का प्रतीक

भगवा ही राष्ट्रीय ध्वज है

भारत भूमि की हर एक संतान 'भगवा' को अपना राष्ट्रीय निशान मानती है। भौतिकवादी पश्चिम में राज्य समाज को प्रभावित करता है। धर्म के इस देश में समाज राज्य को प्रभावित करता रहा है। भारत में कभी भी सर्वग्रासी राज्य नहीं रहा। अपने व्यक्तिगत या समूहगत स्वार्थों की रक्षा के लिए राजकीय सूत्रों को भी स्वाधिकृत करने की कामना न रखने वाले दार्शनिकों एवं संतों द्वारा निर्मित सामाजिक विधान के संरक्षण का कार्य राज्य द्वारा होता था। स्वयं राज्य का शासन भी उसी विधान से होता था। उस विधान से राज्याधिकारियों को हटते देखकर समस्त समाज तुरंत ही विरोध करता था। राज्याधिकारियों के ऐसे कृत्य की धर्म विरोधी कर्म के रूप में आलोचना की जाती थी। लोकापवाद को कठिन दंड माना जाता था और समाज के शस्त्रागार में सामाजिक बहिष्कार अति प्रबल हथियार था। प्रत्येक राजा या सम्राट अपना पृथक राजकीय ध्वज निर्धारित करने को स्वतंत्र था, किंतु किसी भी राजकीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज (भगवा ध्वज) की पवित्रता नहीं प्राप्त हो सकती थी। यद्यपि यह बात सत्य है कि भगवा ध्वज में ही विभिन्न चिह्न देकर शासकगण उसे अपना राज्यध्वज बना लेते थे। इसका कारण था राज्य पर समाज का प्रभाव होना। उदाहरणार्थ- हरिहर, बुक्क या प्रतापरुद्र एवं छत्रपति शिवाजी ने इसे अपना ध्वज माना था, क्योंकि स्मृति से परे के काल से यह राष्ट्रध्वज के रूप में मान्य रहा। कोई यह नहीं कह सकता कि भारत के प्रथम शासक इंद्र का भी ध्वज भगवा नहीं था। इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक बात थी कि देशव्यापी विभिन्न राज्यों के नागरिक गर्व के साथ राष्ट्रीय भगवाध्वज के सम्मान में अपने-अपने राज्यों के ध्वजों को भी फहराया करते थे।

विश्व संस्कृति का प्रतीक- 'भगवा ध्वज'

शासकों का सम्मान अपने ही राज्य की सीमा में होता था। परंतु गेरुआ (भगवा) वस्त्रधारी संन्यासी समस्त राज्यों के निवासियों के सम्मान का अधिकारी था। संन्यासी यथार्थ में विश्व का नागरिक था। 'स्वदेशो भुवनत्रयम्।' इसी कारण उसे सार्वभौम आदर प्राप्त था। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि संन्यासियों ने गेरुआ रंग को अपना प्रतीक बनाया। संन्यासियों के ही सदृश इस देश का राष्ट्रभाव भी अंतरराष्ट्रीयता या सार्वभौमिकता का प्रतिरूप था। मानव इतिहास में अंतरराष्ट्रीयता का उद्भव

सर्वप्रथम हिंदुत्व के ही रूप में हुआ, क्योंकि उस समय संसार में भारत ही एकमात्र सभ्य देश था। हिंदू संस्कृति विश्व संकृति से अभिन्न थी। अस्तु, मानव इतिहास के प्रारंभ में ही हिंदू राष्ट्रीयता के रूप में प्रकट होने वाले विश्व संस्कृति के प्रतीक रूप से भगवे ध्वज को अपनाया गया है। अत: राष्ट्रीयकरण जिसका अर्थ श्रमिक क्षेत्र तथा औद्योगिक संबंधों का मानवीकरण होता है, उस अर्थ को चरितार्थ करने के लिए कृत संकल्प भारतीय मजदूर संघ द्वारा परंपरागत भगवाध्वज को अपने पथ प्रदर्शक एवं स्फूर्तिदाता के रूप में मानना सर्वथा स्वाभाविक है।

अधिकतम उत्पादन के लिए समर्पण आवश्यक

धर्म की दृष्टि से बाह्य दबाव नहीं अपितु कर्तव्यपरायणता की आंतरिक भावना ही अधिकतम उत्पादन के प्रयास के लिए आवश्यक आधार व योग्य स्रोत है। भगवाध्वज के धर्मराज में प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य के लिए संभव सीमा तक प्रयास करता है, क्योंकि इसी से धर्मपथ का पालन होता है। उसमें यह भी विधान किया गया है कि उत्पादन रूप कर्त्तव्य करने में मनुष्य फल की आकांक्षा न रखे और यह कि अपनी उत्पादित समस्त सामग्री को समष्टिगत भगवान के चरणों में अर्पण कर दे। अस्तु इस प्रक्रिया में किसी मानवीतंत्र को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि जिससे कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अधिकतम परिश्रम करने को विवश किया जा सके। इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से समाज को अपने अधिकतम परिश्रम का फल समर्पित कर देता है।

इसके अतिरिक्त कोई ऐसा भी तत्व नहीं दृष्टिगत होता जो हरेक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार वितरण करने का कार्य कर सके। धर्मराज्य में समष्टि को समर्पित करने के पश्चात शेषांस को व्यक्ति भगवतप्रसाद समझ कर ग्रहण करता है। अर्थात् धर्मराज्य के नागरिक यज्ञशिष्टाशन करने वाले होते हैं। 'श्रीकृष्णार्पणमस्तु' की एकमात्र भावना ही भारतीयों के समस्त उत्पादन प्रयासों में सन्निहित रहती है। 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा:', इस उपनिषदीय वाक्य में भारतीयों के अंतःकरण की वह भावना प्रतिफलित हुई है जिससे वे समाज से कोई वस्तु ग्रहण करते हैं। व्यक्ति को स्वयं शासित कर्त्तव्यपरायण भक्त बनाकर धर्म एक ओर लाभ उठाने की प्रवृत्ति, प्रतियोगिता और शोषण का उन्मूलन करता है, दूसरी ओर दबाव और सत्तावाद को भी समाप्त करता है।

भारतीय समाज व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ

धर्म के ऊपर आधारित यहाँ की समाज व्यवस्था विदेशियों की सहस्र वर्षीय घोर विध्वंस प्रयासों के बावजूद भी बनी ही रही। ग्यारह सौ वर्षों से भी अधिक काल तक भारतीयों के युद्धरत रहने के कारण इस व्यवस्था में यत्र तत्र कुछ बुराइयाँ प्रविष्ट हो गई हैं, किंतु मुख्य ढांचा अब भी दृढ़ है। इसके विपरीत पूंजीवादी ढाँचा दो सौ वर्षों का भी दबाव बर्दाश्त न कर सका तथा समय-समय पर प्रकट होने वाले पर्ज, आंतरिक विद्रोह एवं लौहावरण के पीछे होने वाले विशाल नर-संहार के द्वारा यह प्रकट होता है कि लेनिन निर्मित भवन भी चालीस वर्षों में ही लड़खड़ाने लगा है। (ध्यान रहे यह पुस्तिका 1962 में लिखी गई थी।)

मार्क्स ने भारतीय व्यवस्था की स्थिरता को गतिहीनता समझने की भूल की है। उसमें भारतीय मनोविज्ञान एवं समाज व्यवस्था के अध्ययनार्थ आवश्यक धैर्य का अभाव था। भारतीय व्यवस्था की जांच किए बिना ही उसने अपना निष्कर्ष निकाल लिया है। बाद में जांच-पड़ताल में प्राप्त होने वाले तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया गया है कि वे पूर्व में ही निर्मित सिद्धांतों के उपयुक्त हो जाएं। इस कल्पनात्मक प्रवृत्ति के कारण ही मार्क्स हिंदू व्यवस्था के सही दृष्टिकोण को प्राप्त करने में असमर्थ रहा। अपने इस अवैज्ञानिक दृष्टिकोण के ही कारण मार्क्स ने हिंदू विचारों एवं संस्थाओं का जो मूल्यांकन किया, वह दोषयुक्त हो गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हिंदू धर्म के अतिरिक सामर्थ्य एवं योग्यता को समझ पाने में बुरी तरह विफल हुआ। क्या उसे कभी यह कल्पना हुई होगी कि उसके सपने की वर्गविहीन एवं राज्यशून्य अवस्था एक नित्य परिवर्तनशील व्यवस्था होगी अर्थात् उसकी कल्पित व्यवस्था अव्यवस्था ही होगी। क्योंकि यदि उसकी कल्पित 'कम्युनिज्म की उच्च अवस्था' स्थायित्व प्राप्त करती है तो उसे गतिशून्य ही कहा जायेगा। यह एक उल्लेखनीय बात है कि समस्त विद्रोहों का संपूर्ण सफाया करने वाले छत्तीस वर्षों के निरंतर सर्वग्रासी शासन के बावजूद रूसी नेताओं को स्टालिन की मृत्यु के पश्चात् अव्यवस्था फैलने का भय बना रहा। अनेक राजनीतिक झंझावातों का सामना करने वाली हिंदू समाज-व्यवस्था इस परिस्थिति का अपवाद है। राज्यों का उदय-अस्त होता रहा, किंतु भारतीय समाज व्यवस्था सनातन रूप से बनी रही। किसी राजनीतिक उथल-पुथल से इसका आधार अछूता ही रहा। यह अर्थसत्ता या राजसत्ता के ऊपर निर्भर नहीं, अपितु व्यक्ति एवं समाज के स्वेच्छाजन्य धर्मनिष्ठा के ही ऊपर आधारित है। पूंजीवाद की प्रमुख विशेषता है 'भ्रष्ट प्रतियोगिता', कम्युनिज्म की विशेषता है 'दमन' एवं धर्म की विशेषता है 'प्रबुद्धता'। प्रबुद्धता की दृढ़ता ही मानव कल्याण के लिए धर्म की मुख्य देन है।

पांथिक संकीर्णता का धर्म भावना से कोई संबंध नहीं

सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अपने प्रयोजन के अनुकूल ध्वज को मान्यता प्रदान करते हैं। अन्य अनेक वस्तुओं में ध्वज ही एक वैशिष्ट्य द्योतक चिह्न होता है। कतिपय अंशों में ध्वज द्वारा ही अन्य मानवों से कोई एक समुदाय भिन्न रूप से परिलक्षित होता है। प्रतिनिधि के रूप में ध्वज किसी एक विशेष समुदाय के समस्त घटकों को प्रकट करता है एवं उस समुदाय के घटकों की भिन्न तत्वों से उस विशिष्ट समुदाय की पृथकता द्योतित होती है। बौद्धिक रूप से ध्वज द्वारा उन सभी विचारों एवं आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है, जिन्हें ध्वजग्राही समुदाय अंगीकार करता है। साथ ही इसके द्वारा अब उतने ही प्रभावी रूप से अन्य विचारों एवं आदर्शों का निषेध भी हो जाता है। किसी एक मत का प्रतीक होने पर यह अन्य मतों से स्वयं ही भिन्न हो जाता है।

अस्तु प्रचलित समस्त पताकाएं सामुदायिक ही हैं, न कि अंतरराष्ट्रीय। यद्यपि सभी को अंतरराष्ट्रीयता का विरोधी नहीं कहा जा सकता, तथापि ऐसी पताकाओं को सामुदायिक ही कहा जायेगा जो अंतरराष्ट्रीयता के असांप्रदायिक मत का पूरक सिद्ध होने वाले किसी आदर्श का प्रतीक न हों। दुर्भाग्यवश जीवन के समस्त क्षेत्र में पंथानुगामिता बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय धर्म के रूप में नाजीवाद, फासिस्टवाद या सैनिकवाद का उदय हो रहा है। यह आशा की जाती थी कि इन राष्ट्रीय मतों के घेरे से बाहर इस प्रकार के अलगाव की भावना का अभाव होगा, क्योंकि शैववाद, वैष्णववाद, जैनमत या बौद्धमत आदि गैर सेमिटिक धर्मों ने इस अपवाद का समर्थन किया था। किंतु ईसाईयत, इस्ताम और कम्युनिज्म इन तीन सेमिटिक धर्मों के दुराग्रह और असहिष्णुता ने यह प्रकट कर दिया है कि अनियंत्रित पंथवाद कितना अंधेर कर सकता है।

भगवाध्वज सत्तात्मक धर्म का प्रतीक है। अग्नि के प्रति ताप एवं प्रकाश की जो स्थिति है, वही स्थिति विश्व के लिए धर्म की है। धर्म कोई वाद या मत नहीं होता, अपितु प्रत्येक वाद एवं मत का समावेश धर्म में होता है। अपनी सीमा में रहते हुए प्रत्येक वाद कोई न कोई हितकर प्रयोजन सिद्ध करता है, किंतु सीमा के बाहर उस वाद का ह्रास एवं विनाश निश्चित हो जाता है। किसी वाद में पाई जाने वाली संकीर्णता का धर्म भावना से कोई संबंध नहीं है। समस्त संसार के लिए किया गया कोई भी पांथिक दावा स्पष्टतया उपहासपूर्ण होता है, क्योंकि एक ही समय में विभिन्न समाजों को

भिन्न-भिन्न प्रकार की परिस्थितियों व समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी तक किसी भी ऐसी औषधि का आविष्कार नहीं हुआ है जो विभिन्न प्रकार के समस्त रोगों को दूर कर सके। कोई भी वाद सर्वथा निष्प्रयोजन नहीं है, किंतु किसी भी वाद को हर समय एवं हर स्थान पर लागू नहीं किया जा सकता। कोई भी वाद जब तक मानव हित को अग्रसर करने वाला रहता है उसे धर्म का ही प्रकट रूप कहा जायेगा। किंतु उपयोगिता समाप्त होने के पश्चात उसका बना रहना धर्म के हित का विरोधी होता है। टेनिसन की प्रसिद्ध पंक्तियों में किञ्चित परिवर्तन करके धर्म और विभिन्न वादों का अंतर बतलाया जा सकता है। यथा-

"Old isms changes yielding place to new and Dharma fulfills itself in many ways least one good ism should corrupt the world."

एकमात्र धर्म ही अंतरराष्ट्रीय तत्व है

किसी भी समय व स्थिति में एक मात्र धर्म ही इस बात की गारंटी दे सकता है कि व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, मानसिक एवं आध्यात्मिक आदि स्तरों के विविध मतों की उपयुक्त सुरक्षा होगी। समाज के प्रत्येक अवयव के लिए धर्म में मत संबंधी स्वतंत्रता होती है। सभी व्यक्तियों के धर्मप्रवण होने पर किसी भी व्यक्ति की पांथिक स्वाधीनता से दूसरे की स्वाधीनता का संघर्ष नहीं होने पाता। धर्म के प्रभाव से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय अपने से भिन्न संप्रदाय के नियमों के प्रति न केवल सहिष्णु होता है अपितु उन नियमों के गुणों की परख भी करता है। यह निश्चित है कि सभी पंथ एक ही धर्म के विविध रूप हैं। उनके परस्पर भिन्न प्रतीत होने का कारण यह है कि वे विभिन्न देश, काल और पात्रों के लिए प्रकट हुए हैं। धर्म में सभी वादों अर्थात् मतों का अंतर्भाव हो जाता है। संकुचित प्रवृत्ति वाले सेमेटिक मतों का भी इसमें समावेश होता है, किंतु और सेमेटिक पंथों के तुल्य पद की प्राप्ति हेतु सेमेटिक मतों को अपनी पांथिकता का त्याग करना पड़ेगा।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एकमात्र धर्म ही अंतरराष्ट्रीय तत्व है। किसी भी पंथ को वह अनुपम पद नहीं प्राप्त हो सकता है, यद्यपि प्रत्येक पंथ में किसी न किसी अंश में निश्चित ही विशेषता होती है। किसी भी मत का तब तक आदर करना चाहिए जब तक वह धर्म का आदर करता रहे। इस प्रकार किसी भी मत एवं धर्म में विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रत्येक आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक मतों के ध्वज का आदर तभी करना चाहिए जब वे सार्वभौम धर्म के ध्वज का आदर करते हों। वेदों से लेकर कम्युनिज्म तक के समस्त अनुयायी निस्संदेह अपने ध्वज का

शुद्धभाव से आदर करने के कारण प्रशंसनीय हैं, किंतु यदि वे उसी के साथ विश्वधर्म के ध्वज की वंदना नहीं करते तो वे अपने मत के ही विरुद्ध कार्य करने के दोषी होते हैं।

राज्यध्वज के पास मार्चपास्ट करते समय सेना की विविध टुकड़ियाँ गर्वपूर्वक विभिन्न रंगों की अपनी पताकाएँ फहराती हैं। सार्वभौमिकता के इस ध्वज का आदर करके समस्त वादों के अनुयायी अपनी पताकाओं की प्रतिष्ठा ही बढ़ाएंगे।

विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में-

'ध्वजा करि उड़ाइबो बैरागीर उत्तरीबसन दरिद्रेर बल।

एक धर्मराज्य होबे ए भारते एक महावचन कोरिबो संबल।।

हमारा राष्ट्रध्वज

सभी जानते हैं कि जहाँ-जहाँ राष्ट्र होता है, वहाँ-वहाँ राष्ट्रध्वज भी रहता है। बिना राष्ट्र के ध्वज नहीं और बिना ध्वज के राष्ट्र नहीं होता। यह बहुत बार कहा जाता था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं। इसका कारण यह भी रहा कि लोगों को उसका ध्वज दिखाई नहीं देता था। अंग्रेजी शिक्षा से जो एक दुर्बुद्धि हमारे यहाँ फैली, उसके कारण मंदिरों पर उड़ने वाले इस ध्वज को हमने 'रिलीजस फ्लैग' समझा। अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध प्रचार किया और कहा यह तो पारमार्थिक झंडा है, साधु-संतों व मठ-मंदिरों का झंडा है तथा इसका संबंध ऐहिक कर्मों से नहीं है। हम भी सोचने लगे कि इसका संबंध राष्ट्र-जीवन से नहीं, अपितु सीधे परमात्मा से है। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करने में असमर्थ रहे। लेकिन समाज पर इस ध्वज का निरंतर असर रहा और समाज का प्रेरक भी वह बना रहा। कालांतर में जब भी नए सिरे से राष्ट्र ध्वज निर्माण करने के प्रयास हुए, उसमें समाज के उक्त प्रभाव को हम देख सकते हैं। ध्वज निर्धारित करने वालों के ध्यान में यह बराबर आता रहा कि राष्ट्र के तत्वों को प्रकट करने वाला राष्ट्रध्वज चाहिए।

भारत में राष्ट्रध्वज निर्माण का प्रथम प्रयास 1905 में बंगाल विभाजन के समय हुआ। उस समय वाराणसी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता वहीं रहती थी। उनके घर पर भारत के बड़े-बड़े नेता एकत्र होते थे। उन नेताओं ने उनके सामने ध्वज का निर्णय देने का सुझाव रखा। भगिनी निवेदिता ने उस अधिवेशन में जो ध्वज रखा, वह भगवा रंग का ही था। उस चौकोर भगवा ध्वज के ऊपर लाल रंग का इंद्र का वज्र भी अंकित था। यह वज्र संपूर्ण संस्कृति का प्रतीक है। पर दुर्भाग्य, यह ध्वज स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद के अधिवेशन में, जो लखनऊ में हुआ, उस समय तक इनका देहान्त हो चुका था।

ध्वज बनाने का दूसरा प्रयत्न क्रांतिकारियों द्वारा हुआ। मैडम कामा ने जर्मनी में सोशलिस्टों की कॉन्फ्रेन्स के अवसर पर देश का तिरंगा झंडा बनाया। उसमें इटली और अमेरिका के झंडों का सम्मिश्रण किया। इटली के झंडे से लाल, सफेद और हरा रंग जो मैजिनी के द्वारा निश्चित किया गया था, ले लिया। अमेरिका के झंडे में जितने राज्य हैं, उतने ही तारों के चिह्न अंकित हैं। इसी आधार पर मैडम कामा ने भी भारत के सोलह प्रान्तों के प्रतीक कमल अंकित किए और उस परिषद में भारत का नाम लेकर मैडम कामा ने रेशमी तिरंगे झंडे को लहराया।

सन् 1920 में जब कांग्रेस का आंदोलन चला तो फिर झंडा बनाने का प्रयत्न दिखाई पड़ा। महात्मा गांधी ने तिरंगे ध्वज पर चरखा अंकित कराया। 'यंग इंडिया' पत्र में उन तीनों रंगों का अर्थ प्रकाशित किया गया। लाल रंग का पट्टा हिंदुओं के लिए, हरा मुसलमानों के लिए और सफेद इसाइयों के लिए - इस प्रकार का तर्क देकर वह झंडा चलाया गया। पर यह मान्य नहीं हुआ।

सन् 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रश्न के अनुसंधान हेतु एक झंडा कमेटी का निर्माण किया था। इस समिति ने संपूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात एकमत से यह निर्णय दिया कि भारत का राष्ट्रध्वज भगवा ही है। इस समिति में पं० जवाहरलाल नेहरू, मो० आजाद, मा० तारासिंह तथा अन्य चार सदस्य थे। पर उस रिपोर्ट को अ०भा० कांग्रेस कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत होने के पश्चात अस्वीकृत कर दिया गया। कारण यह था कि अ०भा० कांग्रेस कमेटी के अधिकांश सदस्यों की संस्था-निष्ठा राष्ट्रनिष्ठा से भी अधिक प्रबल सिद्ध हुई। उस समय तिरंगा झंडा अस्थायी रूप से 'संस्था ध्वज' के नाते ही स्वीकार किया गया था, किंतु संस्थागत अहंकार के कारण, अपने ही 'झंडा कमेटी' के एकमत के निर्णय को ठुकराकर, 'पार्टी झंडे' को 'राष्ट्रीय ध्वज' का स्थान कांग्रेस सदस्यों ने प्रदान किया। तत्पश्चात 'संस्था निष्ठा' के ही कारण 'झंडा कमेटी' के सदस्य भी अपने निष्पक्ष निर्णय को छोड़कर शनै: शनै: सदस्यों के दलगत व संकुचित विचारों से प्रभावित हो गए।

संविधान सभा द्वारा राज्यध्वज निर्णय के लिए नियुक्त 'झंडा कमेटी' की कार्यवाही जब प्रकाशित होगी तो पता चलेगा कि हिंदू समाज के वर्तमान स्वरूप से घोर अप्रसन्न, फलस्वरूप विरोधी डॉ० बाबा साहेब अंबेडकर ने भी समिति के सम्मुख भगवा-ध्वज के पक्ष में कुछ बातें रखी थी। 'झंडा कमेटी' की बैठक के लिए डॉ० अंबेडकर ने मुंबई से जब प्रस्थान किया, तब उन्हें विदाई देने के लिए मुंबई के कुछ राष्ट्रवादी नेता हवाई अड्डे पर आए थे। उस समय संविधान के प्रणेता डॉ० साहब ने उन्हें बताया कि 'झंडा समिति' के सम्मुख भगवा का प्रश्न वे अवश्य उठायेंगे, किंतु उसका तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि संविधान सभा के बाहर इस विषय को लेकर प्रचंड जन आंदोलन खड़ा नहीं किया जाता, क्योंकि बहुमत उसमें संस्थाभिमानी कांग्रेसियों का ही था। परिस्थिति विशेष के कारण इस तरह का आंदोलन उन दिनों खड़ा करना समुचित नहीं था। डॉ० अंबेडकर ने भगवा-ध्यज के बारे में समिति के सम्मुख विचार रखा पर सफलता की आशा न देखकर यह प्रयत्न किया कि कम से कम चरखा अंकित तिरंगे के स्थान पर अशोक चक्र अंकित तिरंगा स्वीकृत हो।

यह सत्य है कि दल आते हैं और जाते हैं, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, पर राष्ट्र चिरन्तन है। स्थायी स्वरूप है तो केवल राष्ट्र का। भारतीय मजदूर संघ किसी दल विशेष का अंग नहीं है और न सरकारी संगठन ही। यह केवल राष्ट्र केंद्रित संगठन है, अस्तु स्वाभाविक रूप से उसके ध्वज का वर्ण वही हो जो कि राष्ट्रीय भावना जगा सके।

संगठन एवं पौरुष का प्रतीक-मानव अंगूठा

भारतीय मजदूर संघ ने 2x3 का आयताकार भगवाध्यज (भगवा) को अपना ध्वज स्वीकार किया एवं गंभीर विचारोपरांत अपना प्रतीक निश्चित करने का निर्णय लिया।

भारतीय मजदूर संघ का प्रतीक

स्वभावत: प्रारंभिक अवस्था में किसी औद्योगिक भाव को प्रकट करने वाले औजार को प्रतीक मानने की प्रवृत्ति श्रमिक संस्थाओं में रही है। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी संस्था के प्रतीक के रूप में मौलिक एवं आधारभूत चिह्न निश्चित करने का विचार किया। हंसिया और हथौड़ा, चक्र एवं हल अपने आप में अच्छे हैं। किंतु कार्यकर्ताओं के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि पृथ्वी मंडल पर वर्तमान समस्त प्राणियों में मनुष्यों द्वारा ही सभी प्रकार के औजारों मशीनों तथा सभ्यता के उपकरणों के विकसित होने का क्या कारण है? शारीरिक दृष्टि से जीवधारिधों से मनुष्य को भिन्न सिद्ध करने वाली कौन-सी वस्तु है? विचार-विमर्श के पश्चात उन लोगों ने मनुष्य के अंगूठे के अनुपम महत्व पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित की।

निर्माण का जनक

मस्तिष्क के साथ-साथ मनुष्य को पशु से भिन्न सबसे अधिक महत्त्व की प्रकृति की देन उसका अंगूठा ही है। आज कितना वैभव प्रकृति की देन से भिन्न है हम संसार में देख रहे हैं - वह सारा का सारा अंगूठे और उंगलियों की विशेष बनावट का परिणाम है। वस्तुत: मानव द्वारा निर्माण का जनक यह अंगूठा ही है। मनुष्य के कृषि एवं उद्योग संबंधी विकास का एकमात्र कारण उसके पास अंगूठे का रहना है। अंगूठे के अभाव में हथौड़ा, हँसिया, चक्र या हल का अस्तित्व में आना ही संभव नहीं था। अर्थात् मनुष्य जाति की समस्त भौतिक एवं वैज्ञानिक उन्नति का सर्वप्रथम भौतिक कारण उसका अंगूठा ही है।

अंगूठे का विशेष बनावट

Opposition of thumb अंगूठे के विरोध के कारण ही मनुष्य के विकास और प्रकृति विजय का प्रथम चरण संभव हो सका। यदि मनुष्य की उंगलियाँ अलग-अलग समान्तर रूप में न होती तो वह वस्तुओं को उतनी दृढ़ता से न पकड़ पाता तथा

वस्तुओं से जिस प्रकार वह आज अपना कार्य करता है उस प्रकार न कर पाता। ऐसी अवस्था में यह बात संदेहास्पद है कि मनुष्य अपने वर्तमान रूप में जीवित रह पाता अथवा अपने अंगूठे के बिना ही वह औजारों का प्रयोग कर सकता, किंतु अपनी उंगलियों के सम्मुख अंगूठा रहने से वह अपनी रक्षा करने, मकान बनाने, भोजन-वस्त्र का प्रबंध करने एवं स्वनिर्मित औजारों से मकान बनाने या जमीन खोदने अथवा लेखनी का प्रयोग करने के योग्य हुआ है।

अन्य प्राणियों से भिन्नता

यह बात सत्य है कि मनुष्य ही एकमात्र वह प्राणी नहीं है जिसके पास अंगूठा है। समस्त प्राणियों के पास किसी न किसी प्रकार का अंगुठा होता है। बंदरों और भालुओं की उंगलियों के सम्मुख अंगूठा होता है। मनुष्य के सदृश वे वस्तुओं को ग्रहण कर सकते हैं। वे वृक्ष की डालियों से फल तोड़कर अपने नीचे के प्राणियों पर फेंक सकते हैं। प्रशिक्षित बंदरों को ऐसा कार्य करना सिखाया जा सकता है जो प्राय: मानवीय प्रतीत होते हैं। मनुष्यों की तरह छुरी-कांटे से खाने, कप से पीने और वस्त्र पहनने एवं उतारने आदि के अनेक कार्य वे कर सकते हैं। वह मनुष्यों की तरह सभी कार्य इसीलिए कर पाते हैं, क्योंकि उनके हाथों में मनुष्य के हाथों की ही तरह उंगलियों के सम्मुख अंगूठा रहता है। किंतु उनका अंगूठा अत्यंत छोटा और अविकसित होता है जिसके कारण उनके पकड़ने की शक्ति मनुष्य की अपेक्षा अत्यंत अल्प होती है। अधिकांश प्राणियों का अंगूठा अनेक एशियाई प्राणियों के ग्राह्य समर्थ पैर की उंगुली की अपेक्षा अधिक उपयोगी नहीं होता। वे अपने बड़े खुर के अगले भाग को हल्के पदार्थों के उठाने में प्रयुक्त कर सकते हैं। किंतु वे उन पदार्थों को वस्तुत: दृढ़ता के साथ नहीं पकड़ सकते, क्योंकि बड़ी उंगुली और अन्य उंगुलियों में साम्मुख्य नहीं होता।

कर्मशक्ति का पुंज

किसी लाठी या पत्थर को पकड़कर एवं उससे अन्य जीवधारी को मारकर ही संभवत: प्रकृति-विजय के प्रति मनुष्य का प्रथम चरण बढ़ा होगा। शेर या चीते के सदृश मनुष्य के पास मजबूत दांत या पंजे नहीं होते और न तो इसके पास खरगोश या हिरन के सदृश अपने शक्तिशाली दुश्मन से बचकर भाग निकलने की गति ही होती है। आदिम मानव दुर्बल और असहाय था। अपनी रक्षा के लिए उसे हथियार की आवश्यकता थी। अत: मनुष्य और जीवधारियों में सबसे बड़ा अंतर यही था कि मनुष्य एक हथियार बनाने वाला प्राणी था। किसी उपयोगी शस्त्र का आविष्कार मनुष्य के विकास का प्रथम चरण था। उसके बाद का विकास प्रारंभिक काल से लेकर आज तक उसके

शस्त्र विकास से ही लक्षित होता है। वस्तुत: अपने औजारों एवं हथियारों के हेतु प्रयुक्त सामग्रियों के अनुसार ही विज्ञान मानव इतिहास को विभिन्न युगों में विभक्त करता है।

यही विकास और विजय का संबल, श्रम क्षेत्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाला, कर्मशक्ति का पुंज, अपनी संपूर्ण उंगलियों को एकजुट रखकर संसार की समस्त बाधाओं से टक्कर लेने में समर्थ, संगठन एवं पौरुष का निर्देशक - मानव अंगूठा ही भारतीय मजदूर संघ का प्रतीक है।

हमारा चिह्न

हमें अपनी संस्था का चिह्न चुनना है।
चिह्न तरह-तरह के हो सकते हैं-
सुंदर तथा आकर्षक।
कल्पनाएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं-
मनोहारी-अति मनोहारी।
सौंदर्य तथा कल्पनाशक्ति का प्रकर्ष,
किसी एक ही आकृति में प्रकट होता है-
ऐसा कहा नहीं जा सकता।
और फिर सौंदर्य की कल्पना भी,
प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी
अलग-अलग हुआ करती है।
*
हमारा चिह्न-
हमारी सैद्धातिक भूमिका का,
हमारी मौलिक विचार-प्रणाली का,
हमारे स्वयं प्रतिभत्व का,
हमारे जीवन-दर्शन का
परिचायक रहे।
*
जिस औद्योगिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं,
उसका निर्माण तथा विकास कैसे हुआ?

जिस यंत्र युग का चारों ओर बोलबाला है,
उसका प्रारंभ कैसे हो सका?
उसके भी पूर्व कृषि के साधन तथा शस्त्र
मनुष्य के द्वारा ही निर्मित हुए-
अन्य प्राणियों द्वारा नहीं।

इसका रहस्य क्या है?
मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में
कौन-सा मूलगामी शारीरिक भेद है,
जिसके कारण मनुष्य का ही यह श्रेय रहा
कि वह प्राचीन शस्त्र से लेकर अर्वाचीनतम पंथ तक,
सभी साधनों का विकास कर सका?
यह शारीरिक भेद एक ही है-
वह है मनुष्य का अंगूठा।

अंगूठा
जोकि बाकी चारों उंगलियों का
स्पर्श कर सकता है।
इसी के कारण मानव ने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली,
जिसका अविष्कार-
आज के विकसित यंत्रयुग में हुआ है।
यह मानवी अंगूठा ही सभी यंत्रों का मूलाधार है।
सभी यंत्रों का-
हँसिया का और हथौड़ी का,

हल का और चक्र का,
चरखे का तथा स्पुतनिक का,
सभी का शारीरिक मूलाधार है-
मानव का अंगूठा।
*
हमारी बुद्धि मूलगामी है।
हम किसी का अंधानुकरण नहीं करते-
न विदेशियों का न विदेश भक्तों का।
उन्होंने किसी-न-किसी यंत्र को ही
अपने चिह्न के रूप में,
स्वीकृत किया।
हम मूल की ओर जाना चाहते हैं-
जो यंत्र का निर्माता है,
और जिसके बिना आज भी
सभी यंत्र मनुष्य के लिए,
अनुपयुक्त हो जाएंगे।
अर्थात् जो यंत्रयुग का,
औद्योगिक तथा शास्त्रीय प्रगति का,
कृषि के विकास का,
और मनुष्य जाति की उत्क्रान्ति का,
मूलाधार,
आद्य प्रवर्तक है,
उसी को हमने चिह्न के नाते
स्वीकार किया है।

*

यह भारतीय विचारकों की,

भारतीय मजदूर संघ को देन है।

यह भारतीय मजदूर संघ की,

अभारतीय विचारकों को देन है ॥

हमारी भूमिका

करांगुलि से अंगूठे तक -

(1) भूमि (2) श्रम (3) पूंजी (4) साहस तथा (5) संगठन।

(1) श्रम (2) तंत्र (3) तत्व (4) विधि तथा (5) संगठन।

झंडा अपने देश का

झंडा अपने देश का, श्रमिकों का मजदूरों का।
भगवा ध्वज अपनाया है तो मोह कहाँ इन प्राणों का ॥ध्रु॥
नील गगन में भगवा ध्वज यह सदियों से लहराता है।
अंधियारे को दूर भगाता, जीवन ज्योति जगाता है।
जन मानस में त्याग तपस्या भाव जगे बलिदानों का ॥1॥
औद्योगिक क्रान्ति प्रतीक यह चक्र सुदर्शन समान है।
गेहूं की बाली हर किसान का समृद्धि वरदान है।
मुट्ठी में सामर्थ्य अंगूठा प्रतीक यह अरमानों का ॥2॥
औद्योगीकरण भारत का हो, उद्योगों का श्रमिकीकरण।
श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण हो राष्ट्र का औद्योगीकरण।
बढ़ते जायें सदा चरण, कारवां चले दीवानों का ॥3॥

श्रमिक गीत

अब भारत में मजदूरों का, भगवा ध्वज लहराएगा।
हर श्रमिक जब राष्ट्र भक्ति की, ज्वाला में तप जाएगा।
चक्र मुट्ठी गेंहू के बाली के संग जब भगवा डोलेगा।
तब देखो भारत में फिर से रामराज्य आ जाएगा ॥1॥
स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र ही अर्थनीति बन जाएगी।

श्रम नीति भी स्वतंत्र होगी तब समृद्धि आएगी।
श्रमधन और उत्पादन को जब पूर्ण न्याय मिल पाएगा।
तब देखो भारत में फिर से रामराज्य आ जाएगा ॥2॥
जो श्रम का अपमान करेगा उसका यह फल पाएगा।
राष्ट्र भक्ति की कसौटियों पर उसको तौला जाएगा।
संगठित होकर श्रमिक जब चमत्कार दिखलाएगा।
तब देखो भारत में फिर से रामराज्य आ जाएगा ॥3॥
किसान अपना भाग्य लिखेगा अपने हल की नोकों से।
मजदूर का सम्मान बढ़ेगा बहते हुए पसीने से।
हम हैं अपने भाग्य विधाता जन गण मन जब गाएगा।
तब देखो भारत में फिर से रामराज्य आ जाएगा ॥4॥
भगवे ध्वज की त्याग-तपस्या बलिदानों की परम्परा।
पुरखों ने भी अपने खून से है इतिहास लिखा सारा।
भारत माता की जय हो यह नारा गगन गुंजाएगा।
तब देखो भारत में फिर से रामराज्य आ जाएगा ॥5॥

॥ भारत माता की जय ॥